



**प्रेस नोट      पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद      दिनांक 14.07.2024**

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 03 मोबाइलफोन बरामद

दिनांक 13.07.2024कोथाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान मैनापुर फाटक के पास से दो अभियुक्तों को चोरी की 01 मोटरसाइकिल व चोरी किये 03 मोबाइल के साथगिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि यह 03 फोन भी हम दोनो ने अलग अलग स्थानो से चोरी किये है। यह मोटर साइकिल हम दोनो ने जीटीवी अस्पताल दिल्ली की पार्किंग से चोरी की थी तभी से हम दोनो इस मोटरसिकिल को चला रहे है। आज हम इन मोबाइल को बेचने के लिये जा रहे थे।

**अभि0गण का नाम व पता—**

- 1.मनीष पुत्र कंन्तु निवासी ग्राम दुहाई थाना मधुबन वापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
2. सौरभ पुत्र सतपाल निवासी ग्राम दुहाई जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

**अपराधिक इतिहास:-**

- 1.अभियुक्त मनीषके विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम में 03अभियोग चोरी के, थाना कविनगर पर 01 अभियोगमोबाइल चोरी का, तथा दिल्ली में 01 अभियोग बाइक चोरी का कुल 05अभियोग दर्ज है।
- 2.अभियुक्त सौरभ के विरुद्ध थाना कविनगर पर 01 अभियोग मोबाइल चोरी का, थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग चोरी, थाना मुरादनगर में 02 अभियोग चोरी के तथा दिल्ली में 01 अभियोग बाइक चोरी का, कुल 05अभियोग पंजीकृत है।

**बरामदगी का विवरण-**

- 01 मोटरसाइकिल
- 03 मोबाइल फोन

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 821 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त (अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये) बरामद।

आज दिनांक 14-07-2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मुरादनगर पुलिस टीम व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में दुहाई इण्डस्ट्रियल एरिया रेलवे लाइन के पास सेअन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय तस्कर 1.मुनीर अंसारी पुत्र जमील अहमद निवासी देवचरा थाना भमोरा बरेली 2-वीर सिंह पुत्र भूरे सिंह निवासी ग्राम मानकुला थाना बिलारी मुरादाबाद, 3-राहुल राणा पुत्र जगमाल सिंह निवासी ग्राम दहा थाना दोघट जिला बागपत को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 821 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त (अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये ) बरामद। जिसके संबंध में थाना मुरादनगर गाजियाबाद में एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों से अलग-अलग व सम्मिलित रूप से पूछताछ की गयी तो गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने बरामद डोडा पोस्ट के बारे में बताया कि हम लोग अपने एक अन्य साथी रोहित राणा के साथ मिलकर डोडा पोस्ट को झारखंड से मांगाकर एनसीआर, हरियाणा व पंजाब राज्य के क्षेत्रों में सप्लाई कर देते हैं। गोदाम के बारे में बताया कि यह गोदाम रोहित राणा द्वारा ही किराये पर लिया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

- 1-मुनीर अंसारी पुत्र जमील अहमद निवासी देवचरा थाना भमोरा बरेली उम्र करीब 28 वर्ष
- 2-वीर सिंह पुत्र भूरे सिंह निवासी ग्राम मानकुला थाना बिलारी मुरादाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
- 3-राहुल राणा पुत्र जगमाल सिंह निवासी ग्राम दहा थाना दोघट जिला बागपत उम्र करीब 42 वर्ष हाल पता-किराये के मकान में बसंतपुर सैंथली थाना मुरादनगर गाजियाबाद

### वांछित अभियुक्त-

रोहित राणा पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम गादनपुरा फलावदा जनपद मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण:-

821 किलो 700 ग्राम अवैधडोडा पोस्ट, 04 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि बरामद।

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ

### थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अपहरण की घटना का किया अनावरण व एक अभियुक्त व अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

दिनांक 13.07.2024 को वादिया द्वारा दी गयी तहरीर जिसमें वादिया के 07 वर्ष के पुत्र को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की सूचना पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण – अभियोग में तत्काल कार्यवाही करते हुये गठित टीमों के अथक प्रयास एवं मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस एव अन्य पूछताछ के आधार पर दिनांक 14.07.2024को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त नीरज व अभियुक्ता (अपहृत की मां) को संतोष मेडिकल सर्विस रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरा विवाद आशु शर्मा पुत्र प्रेमचन्द शर्मा व लोकेश चौपडा पुत्र श्रीमदन लाल चौपडा के साथ चल रहा है। मैंने पूर्व में बलात्कार का मुकदमा आशु शर्मा के विरुद्ध पंजीकृत करा रखा है जो कोर्ट में चल रहा है जिसमें उसका वकील उसकी पैरवी कर रहा है। मैंने एक और मुकदमा दोनों के खिलाफ थाना विजयनगर पर मेरे साथ मारपीट का लिखा रखा है। मैं इन दोनों को जेल भेजना चाहती थी। इसीलिये मैंने अपने साथी नीरज के साथ मिलकर एक योजना के तहत अपने 07 वर्ष के बच्चे को नीरज के द्वारा गायब करा दिया था और नीरज को यह भी समझा दिया था कि बच्चे को दो चार दिन बाद नशीला पदार्थ खिलाकर चौकी के आस पास छोड़ देना तथा उसे समझा देना कि मुझे आशु व लोकेश एक सफेद गाड़ी में लेकर गये थे तथा मैंने थाने पर जाकर अपने पुत्र के अपहरण होने का मुकदमा लिखा दिया था। जिससे की सारा आरोप आशु शर्मा व लोकेश के ऊपर डाल सके। लेकिन पुलिस के दबाव के कारण नीरज द्वारा मेरे पुत्र को उसकी मौसी के घर हापुड़ छोड़ दिया। जिसे आज पुलिस ने उसकी मौसी के कब्जे से बरामद कर लिया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. नीरज अधाना पुत्र रनवीर सिंह निवासी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 34 वर्ष ।
2. अभियुक्ता

**अपराधिक इतिहास:-**

अभियुक्त नीरज उपरोक्त पर 02 अभियोग चोरी के जिला बुलन्दशहर पर पंजीकृत है ।

अभियुक्ता पर 01 अभियोग मारपीट का थाना विजयनगर पर पंजीकृत है ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।